कार्यपालन सारांश

कर संग्रहण	वर्ष 2010–11 में खनिज प्राप्तियों से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 33.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण कंपनियों से म.प्र. ग्रामीण एवं सड़क विकास अधिनियम के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली, विभाग द्वारा सतत निगरानी एवं परिवीक्षण तथा लघु खनिजों के राज्यांश में वृद्धि बताया गया ।
आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई ।	विभाग ने प्रतिवेदित किया कि स्टाफ की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई है ।
वर्ष 2010–11 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम ।	वर्ष 2010–11 में हमने खनिज प्राप्तियों से संबन्धित 37 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 1,087 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 283.98 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण, वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला । विभाग ने 1,072 प्रकरणों में ₹ 269.66 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किया गया था । वर्ष 2010–11 के दौरान 18 प्रकरणों में ₹ 7.01 लाख की राशि वसूल की गई थी ।
हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है ।	इस अध्याय में हमने जिला खनिज अधिकारियों के कार्यालयों में खनिज प्राप्तियों पर अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होने/कम वसूली होने, शास्ति के अनारोपण आदि से संबन्धित अभिलेखों की हमारे द्वारा नमूना जांच के दौरान पाये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 115.46 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहां हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान हमारे द्वारा बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की अवश्यकता है

जिससे प्रणाली में कमियों पर ध्यान दिया जा सके तथा उस तरह की चूकों से, जो हमने संसूचित की हैं, भविष्य में बचा जा सके ।

विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये वसूली न होने/कम वसूली होने, शास्ति के अनारोपण, ब्याज के अनारोपण आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिये त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की भी आवश्यकता है; विशेषकर उन प्रकरणों में, जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय –10
खनन प्राप्तियां

10.1 कर प्रशासन

खनिज विभाग सचिव, खनन, मध्य प्रदेश शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग प्रमुख हैं जिनकी सहायता के लिये मुख्यालय पर उप संचालक तथा जिला स्तर पर जिला खनिज अधिकारी होते हैं । जिला खनिज अधिकारी की सहायता के लिये सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनन निरीक्षक होते हैं । जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं ।

10.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान वास्तविक खनिज प्राप्तियाँ एवं उसी अवधि के दौरान कुल कर–भिन्न प्राप्तियों सहित निम्नलिखित तालिका एवं लाइन ग्राफ में प्रदर्शित की गई हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (–)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर–भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर–भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
2006–07	1,100.00	923.91	(–)176.09	(–)16.01	2,658.46	34.75
2007–08	1,080.00	1,125.39	(+) 45.39	(+) 4.20	2,738.18	41.10
2008–09	1,235.00	1,361.08	(+)126.08	(+)10.21	3,342.86	40.72
2009–10	1,566.00	1,590.47	(+)24.47	(+) 1.56	6,382.04	24.92
2010–11	1,650.00	2,121.49	(+) 471.49	(+) 28.58	5,719.77	37.09

वर्ष 2010–11 में राज्य के कर–भिन्न राजस्व में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियों के प्रतिशत अंशदान में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई है ।

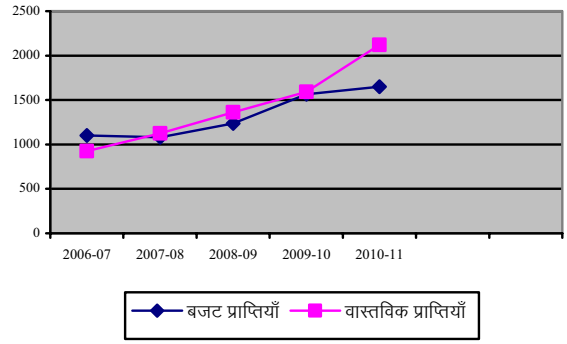

वर्ष 2010–11 में खनिज प्राप्तियों के संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 33.39 प्रतिशत वृद्धि हुई जिसका कारण, कंपनियों से म0प्र0 ग्रामीण एवं सड़क विकास अधिनियम के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली, विभाग द्वारा सतत निगरानी एवं परिवीक्षण तथा लघु खनिजों के राज्यांश में वृद्धि बताया गया ।

10.3 बजट अनुमानों का विश्लेषण

बजट अनुमानों को तैयार करने के संबंध में कोई भी फाइल शासन स्तर पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी । तथापि, विभाग प्रमुख के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से हमने अवलोकित किया कि वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से वसूल की जाने वाली प्राप्तियों का आंकलन करने के लिए किन्हीं एकरूप मापदंडों का अनुसरण किये बिना तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार किये गये । वर्ष 2010–11 के लिए ₹ 1,650 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध संशोधित अनुमान ₹ 2,250 करोड़ था । संशोधित अनुमान बजट अनुमान की तुलना में 36.36 प्रतिशत अधिक था जिसका कारण वर्ष के दौरान सड़क विकास कर से प्राप्तियों में संभावित वृद्धि था ।

10.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग ने प्रतिवेदित किया कि स्टाफ की कमी के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई थी ।

10.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 37 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1,087 प्रकरणों में ₹ 283.98 करोड़ के अवनिर्धारण, राजस्व की वसूली न होने/कम वसूली होने एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई, जिन्हें आगामी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण	110	0.62
2.	अनिवार्य किराये/राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण	363	29.81
3.	ग्रामीण अधोसंरचना एवं सड़क विकास कर का निर्धारण न किया जाना	199	125.83
4.	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की कम वसूली होना	364	4.40
5.	अन्य प्रेक्षण	51	123.32
योग		**1,087**	**283.98**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,072 प्रकरणों में ₹ 269.66 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 18 प्रकरणों में ₹ 7.01 लाख की वसूली की गई थी ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कषों को प्रमुखता से दर्शाते हुए ₹ 115.46 करोड़ की राशि से अंतर्निहित कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

10.6 संविदा राशि की वसूली न होना/कम वसूली होना

व्यापारिक खदान हेतु संविदा अनुबंध की शर्त क्र. 5 (i) एवं 9 के अनुसार, प्रत्येक ठेकेदार को संविदा राशि का भुगतान नियत तिथियों को करना होता है। यदि इस राशि का भुगतान तीन माह से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा खदान पुनर्नीलाम की जायेगी । खदान की पुनर्नीलामी की प्रक्रिया के फलस्वरूप यदि शासन को कोई हानि होती है, तो यह राशि चूककर्ता ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। अनुबंध की शर्त क्र. 23 के अनुसार, ठेके का समयावधि पूर्व किया गया समर्पण, तभी स्वीकार किया जायेगा जबकि ठेकेदार के विरूद्ध कोई बकाया न हो । इसके अलावा, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली, 1996 के नियम 40 में प्रावधान है कि व्यापारिक खदानों की नीलामी से प्राप्त आय के लेखाओं का संधारण जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रपत्र 23 में किया जायेगा ।

फरवरी 2009 एवं जनवरी 2011 के मध्य 32 जिला खनिज अधिकारी कार्यालयों[1] की व्यापारिक खदानों से संबंधित प्रकरण फाइलों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया कि 198 ठेकेदारों ने अप्रैल 2007 से मार्च 2010 की अवधि के लिए देय ₹ 2.40 करोड़ की संविदा राशि के विरूद्ध ₹ 85.06 लाख की राशि का भुगतान किया । यद्यपि ₹ 1.55 करोड़ की संविदा राशि तीन से 46 माह तक भुगतान हेतु लंबित रही, ऐसा कुछ भी अभिलेखबद्ध नहीं पाया गया जिससे यह पता चल सके कि विभाग ने चूककर्ता ठेकेदारों के विरूद्ध संविदा की शर्तों के अधीन संविदा निरस्त करने और खदानों को पुनर्नीलाम करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ की थी । इस प्रकार, ठेकेदारों द्वारा नियत तिथियों पर संविदा राशि के भुगतान न किये जाने के बावजूद भी संबंधित जिला खनिज अधिकारियों ने उन्हें उत्खनन के लिए अनुमति जारी रखी । इसके अतिरिक्त, व्यापारिक खदानों से प्राप्त आय के लेखाओं का संधारण न किये जाने से भी चूककर्ताओं से बकाया वसूली के परिवीक्षण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ की संविदा राशि की कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, मंदसौर, गुना, रतलाम, मुरैना, उज्जैन और देवास को छोड़कर सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (फरवरी 2009 से मई 2011) कि नियमानुसार वसूली की कार्रवाई कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । उज्जैन, गुना, रतलाम और देवास के जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (अप्रैल 2011 से जुलाई 2011) कि ₹ 10.78 लाख की राशि वसूल कर ली गई है। जिला खनिज अधिकारी,

[1] अनूपपुर, बड़वानी, बालाघाट, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, गुना, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खण्डवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम, रीवा, सतना, सागर, सीहोर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन और उमरिया ।

मुरैना ने बताया (मई 2011) कि संबंधित ठेकेदारों को शेष संविदा राशि की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) जारी कर दिये गये थे । जिला खनिज अधिकारी, मंदसौर ने बताया (मार्च 2011) कि ₹ 1.50 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी और खदानों का समर्पण स्वीकार करने के कारण ₹ 1.82 लाख की राशि वसूली योग्य नहीं थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समर्पण स्वीकार किये जाने के पूर्व देय राशियों का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

हमने दिसम्बर 2010 और मई 2011 के मध्य प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म (डी.जी.एम.) तथा शासन को प्रतिवेदित किए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2012)।

10.7 मुख्य खनिजों पर राज्यांश की कम प्राप्ति

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9–क(i) एवं (ii) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक पट्टाधारक को पट्टा क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये या उपयोग किये गये खनिजों के संबंध में राज्यांश का भुगतान अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से करना होगा, जिसे केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना के द्वारा संशोधित किया जा सकता है जो अधिसूचना में दी गई तिथि से प्रभावी होगी ।

जून 2009 तथा दिसम्बर 2010 के मध्य पांच जिला खनिज कार्यालयों[2] में छः पट्टाधारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि अप्रैल 2007 तथा मार्च 2010 के मध्य पट्टाक्षेत्र से हटाये गये मुख्य खनिजों पर ₹ 30.65 करोड़ का राज्यांश देय था । लेकिन हमने देखा कि पट्टाधारियों ने केवल ₹ 25.70 करोड़ के राज्यांश का ही भुगतान किया था । सम्बन्धित जिला खनिज अधिकारियों ने कम भुगतान/गलत दरों से भुगतान पर ध्यान नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.95 करोड़ के राज्यांश की कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला खनिज अधिकारी, रीवा ने बताया (मई 2011) कि ₹ 15.41 लाख की राशि की वसूली कर ली गई है एवं शेष राशि ₹ 71,773 शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी, जबकि जिला खनिज अधिकारी, बैतूल ने बताया (जुलाई 2011) कि ₹ 1.42 लाख की मांग सृजित की गई है ।

हमने प्रकरणों को दिसम्बर 2009 तथा मई 2011 के मध्य डी.जी.एम. एवं शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

[2] बालाघाट, बैतूल, कटनी, रीवा और सतना ।

10.8 संविदा राशि का पुनरीक्षण न करने के कारण राजस्व की कम वसूली

म.प्र. गौण खनिज नियमों के अंतर्गत व्यापारिक खदान हेतु संविदा अनुबंध की शर्त क्रमांक 6 के अनुसार, यदि ठेके के चालू रहने के दौरान राज्यांश की दरें पुनरीक्षित की जाती हैं तो संविदा राशि भी समानुपातिक रूप से पुनरीक्षित की जायेगी । म.प्र. शासन ने अधिसूचना दिनांक 5 मार्च 2010 द्वारा गौण खनिजों हेतु राज्यांश की दरों में वृद्धि की थी ।

जून 2010 से जनवरी 2011 के मध्य 11 जिला खनिज कार्यालयों[3] की व्यापारिक खदानों से संबंधित प्रकरण की नस्तियों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि विभाग ने, संविदा अनुबंध की शर्त के विरूद्ध 277 व्यापारिक खदान ठेकेदारों के प्रकरणों में माह मार्च 2010 के 27 दिनों (5 मार्च से 31 मार्च 2010) के लिये संविदा राशि को समानुपातिक रूप से पुनरीक्षित नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.28 लाख की संविदा राशि की कम वसूली हुयी ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, शिवपुरी, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर और अनूपपुर के जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (नवम्बर 2010 तथा जनवरी 2011 के मध्य) कि शासन से दिशा निर्देश प्राप्त करने के उपरांत कार्रवाई की जायेगी जबकि उमरिया, दमोह और होशंगाबाद के जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (जून 2010 से दिसम्बर 2010 के मध्य) कि नियमानुसार वसूली की जायेगी । जिला खनिज अधिकारी, शहडोल ने बताया (अक्टूबर 2010) कि संविदा राशि का पुनरीक्षण संभव नहीं था । जिला खनिज अधिकारी, बालाघाट ने बताया (दिसम्बर 2010) कि संविदा राशि की पुनरीक्षित दर केवल अतिरिक्त उत्खनन के लिए लागू होगी । उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं हैं क्योंकि संविदा अनुबंध की शर्त क्रमांक 6 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि नीलाम राशि के बदले में अनुबंध के उपखंड 5 (2) में अनुमत्य मात्रा हेतु राज्यांश की दरों का पुनरीक्षण किये जाने पर संविदा राशि समानुपातिक रूप से पुनरीक्षित की जायेगी । इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक अतिरिक्त उत्खनन के लिए राज्यांश, जैसा कि शर्त क्रमांक 5 (2) में उल्लेख है, पुनरीक्षित दर से देय होगा । जिला खनिज अधिकारी, रायसेन ने बताया (मई 2011) कि मांग पत्र जारी किये गये थे ।

हमने अप्रैल और मई 2011 के मध्य प्रकरण डी.जी.एम. तथा शासन को प्रतिवेदित किये; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2012) ।

[3] अनूपपुर, बालाघाट, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, रायसेन और उमरिया ।

10.9 व्यापारिक खदानों के बकाया की वसूली न होने के कारण राजस्व हानि

मध्य प्रदेश लघु खनिज नियमों के अंतर्गत व्यापारिक खदानों हेतु संविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबन्ध के निरस्त होने के परिणामस्वरूप खदानों की पुनर्नीलामी होने की स्थिति में हानि, यदि कोई हो, की वसूली ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाया की तरह की जायेगी । इसके अतिरिक्त, खदानों का समय से पूर्व समर्पण किए जाने की स्थिति में, ठेकेदार से वसूली योग्य सभी देय राशियों की वसूली समर्पण स्वीकार करने से पूर्व अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये ।

अक्टूबर 2008 तथा अगस्त 2009 में दो जिला खनिज कार्यालयों[4] की व्यापारिक खदानों की प्रकरण फाइलों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि जून 2007 तथा फरवरी 2008 में दो वर्ष की अवधि के लिए रेत की दो व्यापारिक खदानें स्वीकृत की गई थी । आगे, हमने देखा कि सीधी की एक व्यापारिक खदान संविदा राशि जमा न किये जाने के कारण निरस्त कर दी गई जिसमें शासन को पूर्व ठेकेदार से किस्तों तथा पुनर्नीलामी के अन्तर की राशि वसूल न होने के कारण ₹ 1.54 लाख की हानि हुई । दूसरी व्यापारिक खदान (शिवपुरी) में, निर्धारित समय से पूर्व खदान का समर्पण किये जाने पर विभाग द्वारा ठेकेदार से वसूली योग्य बकाया राशि ₹ 4.08 लाख की वसूली सुनिश्चित नहीं की गई । इस प्रकार शासन को इन दो प्रकरणों में ₹ 5.62 लाख की हानि हुई ।

हमने प्रकरण डी.जी.एम. तथा शासन को दिसंबर 2009 एवं मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

[4] शिवपुरी और सीधी ।

10.10 गौण खनिजों पर राज्यांश की कम वसूली

म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 (एम.पी.एम.एम) के नियम 30 (1)(ख) के अनुसार, प्रत्येक उत्खनि पट्टेदार को अनुसूची III में उल्लिखित दरों पर खदान क्षेत्र से हटाये/खपत किये गये खनिज की मात्रा के अनुसार राज्यांश का भुगतान करना होगा । मध्य प्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (दिनांक 31 जनवरी 2006) के अनुसार, जिला कलेक्टर, महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (म.प्र. ग्रा.स. वि. प्रा.) द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्तावित गौण खनिजों की खदानों का सीमांकन कर उन्हें आरक्षित करेगा । इसके अलावा एम.पी.एम.एम. नियमों के नियम 68 (2) के अनुसार, महाप्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण कलेक्टर (खनिज) को उत्खनित/खपत किये गये गौण खनिजों का त्रैमासिक विवरण पत्रक प्रस्तुत करेगा । जिला खनिज अधिकारी द्वारा पारगमन पत्रों का लेखा जोखा रखा जायेगा व समय समय पर इसका विभाग से मिलान किया जायेगा ।

10.10.1 अक्टूबर 2008 और दिसम्बर 2010 के मध्य 13 जिला खनिज अधिकारी कार्यालयों[5] की विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया कि यद्यपि 33 पट्टेदारों द्वारा अप्रैल 2007 एवं मार्च 2010 के मध्य हटाये गये गौण खनिजों हेतु ₹ 5.43 करोड़ राज्यांश देय था लेकिन, पट्टेदारों ने केवल ₹ 3.70 करोड़ राज्यांश का भुगतान किया । जिला खनिज अधिकारियों ने विवरणियों की संवीक्षा नहीं की एवं राज्यांश की शेष राशि की वसूली हेतु मांग सृजित नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ के राज्यांश की कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, मंदसौर, रायसेन और उज्जैन को छोड़कर, अन्य सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2008 और दिसम्बर 2010 के मध्य) कि संवीक्षा के उपरांत कार्रवाई की जायेगी । मंदसौर, रायसेन और उज्जैन के जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (मार्च और जुलाई 2011 के मध्य) कि ₹ 8.04 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी ।

10.10.2 दिसम्बर 2008 और फरवरी 2011 के मध्य 11 जिला खनिज कार्यालयों[6] के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया कि म.प्र. ग्रा.स.वि. प्रा. हेतु 55 पैकेजों में सड़कों के निर्माण के लिए गौण खनिजों की खदानें आरक्षित की गयी थीं । म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. से एकत्रित जानकारी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि निर्माण कार्यों में उपभोग किये गये

---

[5] छतरपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, सागर, सतना, उज्जैन और उमरिया ।

[6] अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर, इंदौर, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, टीकमगढ़, उमरिया और विदिशा ।

खनिजों हेतु ₹ 4.03 करोड़ का राज्यांश देय था । फिर भी, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. ने देय राशि ₹ 4.03 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 1.89 करोड़ के राज्यांश का ही भुगतान किया । हमने यह भी अवलोकित किया कि त्रैमासिक विवरणियाँ न तो महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. द्वारा प्रस्तुत की गई और न ही जिला खनिज अधिकारियों द्वारा इनकी मांग की गई । इस महत्वपूर्ण नियंत्रण के अभाव में, जिला खनिज अधिकारी आरोपणीय राज्यांश एवं पट्टेदारों द्वारा भुगतान की गई राज्यांश की राशि का निर्धारण करने में असमर्थ थे । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.14 करोड़ के राज्यांश की कम वसूली हुई ।

हमने दिसम्बर 2010 और मई 2011 के मध्य प्रकरणों को डी.जी.एम. तथा शासन को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2012) ।

10.11 पट्टेदारों द्वारा अनधिकृत रूप से शासकीय धन का प्रतिधारण

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 29 के अनुसार, सभी शासकीय प्राप्तियों को नियमित रूप से वसूल कर त्वरित ढ़ंग से समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश कोष संहिता के नियम 7 के अनुसार, सभी देय प्राप्तियों को बिना किसी विलंब के शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए । आगे, म0प्र0 ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) के अनुसार, प्रत्येक खनि–भूमि पट्टेदार, किसी भी अवधि के विहित तिथि तक कर भुगतान न करने की चूक होने पर उस अवधि के लिए देय कर के तीन गुने से अनधिक राशि की शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा ।

हमने अक्टूबर तथा दिसम्बर 2010 में क्रमशः जिला खनिज अधिकारी, सिंगरौली और बैतूल के अभिलेखों की संवीक्षा में अवलोकित किया कि कोयले के दो पट्टाधारकों मैसर्स नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.), सिंगरौली तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.), बैतूल ने सितम्बर 2005 से मार्च 2010 के मध्य अपने ग्राहकों से ₹ 81.78 करोड़ ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर के रूप में वसूल किये, लेकिन उन्होंने वह राशि अनधिकृत रूप से अपने पास रोक ली और उसे शासकीय खाते में जमा नहीं कराया । विभाग ने ₹ 81.78 करोड़ की राशि को शासकीय खाते में जमा कराये जाने तथा अधिनियम के अधीन विहित शास्ति आरोपित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने के पश्चात, जिला खनिज अधिकारी, सिंगरौली ने बताया (अक्टूबर 2010) कि एन.सी.एल. को मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा सम्पूर्ण राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है, जबकि जिला खनिज अधिकारी, बैतूल ने बताया (दिसम्बर 2010) कि वसूली हेतु मांग पत्र जारी किये गये हैं तथा वसूली के उपरान्त लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा ।

हमने मार्च एवं मई 2011 के मध्य प्रकरणों को डी.जी.एम. तथा शासन को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2012) ।

10.12 ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की वसूली न होना

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा सितम्बर 2005 की अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई राज्यांश की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पांच प्रतिशत वार्षिक एवं शिथिल खदानों पर ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से किया जायेगा । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों/लेखाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी खनिजों के विक्रय मूल्य का निर्धारण करेगा तथा प्रत्येक वर्ष मई माह के अंत में कर का निर्धारण कर उसकी माँग करेगा ।

सितम्बर 2009 तथा दिसम्बर 2010 के मध्य 14 जिला खनिज कार्यालयों[7] में विवरणियों एवं प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि अप्रैल 2007 से मार्च 2010 की अवधि हेतु 271 खनन पट्टों के संबंध में सड़क विकास कर का निर्धारण नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.96 करोड़ के कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, जबलपुर, नीमच, टीकमगढ़ और सागर को छोड़कर, सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2009 से दिसम्बर 2010 के मध्य) कि संवीक्षा के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । जिला खनिज अधिकारी जबलपुर तथा नीमच ने बताया (सितम्बर 2009 तथा जनवरी 2010) कि प्रकरण न्यायालय में लंबित है और न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन के आदेश दिनांक 23 मार्च 2010 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया था और शासन मांग के अनुसार कर की वसूली करने के लिए स्वतंत्र है । जिला खनिज अधिकारी सागर तथा टीकमगढ़ ने बताया (मई 2011 तथा अगस्त 2011 के मध्य) कि ₹ 3.93 लाख की राशि वसूल कर ली गई है ।

हमने फरवरी एवं मई 2011 के मध्य प्रकरणों को डी.जी.एम. तथा शासन को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2012) ।

[7] अनूपपुर, बड़वानी, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, नीमच, सागर, सतना, शहडोल, टीकमगढ़ और उमरिया ।

10.13 अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने में अनियमितताओं के कारण राजस्व की हानि

म.प्र. खान एवं खनिज नियमों के नियम 68 के अनुसार, कलेक्टर किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम के निर्माण कार्यों हेतु वांछित किसी गौण खनिज के उत्खनन, निष्कासन तथा परिवहन के लिए अनुसूची III में उल्लिखित दरों से गणना किए गए राज्यांश का अग्रिम भुगतान करने पर अनुमति प्रदान करेगा ।

दिसम्बर 2009 तथा मई 2010 में क्रमशः सतना तथा छतरपुर के जिला खनिज कार्यालयों द्वारा जारी किये गये अस्थाई अनुज्ञापत्र एवं अन्य अभिलेखों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया कि मई 2008 से दिसम्बर 2009 के मध्य एक ठेकेदार को दो सड़कों के निर्माण हेतु विभिन्न खनिजों के लिए तीन अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किये गये जिन पर ₹ 78.54 लाख राज्यांश का अग्रिम भुगतान देय था । लेकिन, हमने यह पाया कि ठेकेदार ने मात्र ₹ 3.34 लाख का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.20 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, जिला खनिज अधिकारी सतना तथा छतरपुर ने बताया (दिसम्बर 2009 तथा मई 2010) कि जमा की गई राशि के विरूद्ध ठेकेदार को खनिजों के परिवहन हेतु पारगमन पत्र जारी किये गये थे । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्यांश की सम्पूर्ण राशि अग्रिम में जमा करने के उपरांत ही अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किये जाने थे ।

हमने फरवरी एवं मई 2011 के मध्य प्रकरणों को डी.जी.एम. तथा शासन को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2012) ।

10.14 विवरणियां प्रस्तुत न किये जाने पर शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश खान एवं खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (20)(क)(ख)(ग) के अनुसार, प्रत्येक उत्खनि पट्टाधारक निर्धारित प्रपत्रों में नियत तिथियों तक जिला खनिज अधिकारी को मासिक, छःमाही तथा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टा स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टाधारक पर शास्ति का आरोपण कर सकता है जो वार्षिक अनिवार्य किराया की राशि के दुगुने से अधिक नहीं होगी ।

मार्च 2009 से मई 2010 के मध्य रतलाम तथा छतरपुर जिला खनिज कार्यालयों के उत्खनि पट्टों की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया कि 17 पट्टाधारकों द्वारा अप्रैल 2006 तथा मार्च 2010 के मध्य की अवधि से संबंधित प्रस्तुतीकरण हेतु अपेक्षित मासिक, छःमाही तथा वार्षिक

विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई थी । पट्टाधारकों के कार्यकलापों का परिवीक्षण करने के लिए विवरणियों का प्रस्तुतीकरण एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली है । इन आधारभूत अभिलेखों के अभाव में, जिला खनिज अधिकारी राज्यांश की सही राशि का निर्धारण नहीं कर पाते हैं । यद्यपि पट्टाधारकों ने वांछित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी, फिर भी जिला खनिज अधिकारियों ने इन विवरणियों की मांग नहीं की और न ही उन्होंने वार्षिक अनिवार्य किराये की राशि के दुगुने की दर से गणना की गई अधिकतम शास्ति ₹ 17.40 लाख आरोपित की ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, जिला खनिज अधिकारी, रतलाम ने बताया (जुलाई 2011) कि ₹ 30,000 की राशि वसूल कर ली गई थी, जबकि जिला खनिज अधिकारी, छतरपुर ने बताया (मई 2010) कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरांत कार्रवाई की जायेगी ।

हमने प्रकरणों को फरवरी तथा मई 2011 के मध्य डी.जी.एम. तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

10.15 विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 (क) के अनुसार, पट्टाधारक राज्यांश का भुगतान निर्धारित तिथि तक करेगा, जिसमें विफल रहने की स्थिति में नियत दिनांक की समाप्ति की तिथि से 60वें दिन से ऐसे राज्यांश के भुगतान की तिथि तक 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा । इसके अतिरिक्त, म.प्र. गौण खनिज नियमों के नियम 30 (घ) एवं व्यापारिक खदानों हेतु संविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार, प्रत्येक उत्खनि पट्टाधारी एवं व्यापारिक खदान से संबंधित ठेकेदार अनिवार्य किराया एवं संविदा राशि का भुगतान निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व करेगा जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टाधारी या ठेकेदार विलम्बित अवधि के लिए 24 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

10.15.1 दिसम्बर 2009 तथा अक्टूबर 2010 के मध्य तीन जिला खनिज कार्यालयों [8] के मुख्य खनिजों के पट्टेधारियों की प्रकरण फाइलों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया कि वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान, चार पट्टाधारियों ने राज्यांश के भुगतान में पांच दिवस से 18 माह का विलम्ब किया जिस पर ₹ 43.85 लाख का दाण्डिक ब्याज देय था । तथापि, हमने पाया कि विभाग द्वारा उक्त ब्याज के निर्धारण एवं वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 43.85 लाख के ब्याज का अनारोपण हुआ ।

[8] रीवा, सिंगरौली और टीकमगढ़ ।

10.15.2 दिसम्बर 2009 तथा अक्टूबर 2010 के मध्य नौं जिला खनिज कार्यालयों[9] के लघु खनिजों के पट्टाधारियों तथा ठेकेदारों से सम्बन्धित प्रकरण फाइलों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि 49 पट्टाधारियों तथा 32 ठेकेदारों ने वर्ष 2007–08 से 2009–10 के दौरान तीन दिवस से 1,095 दिवस के विलम्ब से अनिवार्य किराये/संविदा राशि का भुगतान किया था जिस पर ₹ 9.10 लाख का दाण्डिक ब्याज देय था । तथापि, हमने देखा कि विभाग द्वारा ब्याज के निर्धारण एवं वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.10 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2009 तथा अक्टूबर 2010 के मध्य) कि संवीक्षा के उपरांत कार्रवाई की जायेगी । हमने प्रकरणों को दिसम्बर 2010 तथा मई 2011 के मध्य डी.जी.एम. तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

10.16 अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9–क के अनुसार, खनि पट्टा से सम्बन्धित प्रत्येक पट्टेदार अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित तिथि को उसके द्वारा धारित पूरे पट्टाक्षेत्र के लिए अनिवार्य किराये का प्रतिवर्ष अग्रिम भुगतान करेगा । आगे, मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (1)(क) के अनुसार, प्रत्येक पट्टाधारक अनुसूची IV में विर्निदिष्ट दरों पर, प्रथम वर्ष को छोड़कर, सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को अथवा उससे पूर्व अनिवार्य किराये का अग्रिम भुगतान करेगा । अधिनियम तथा नियमों में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि देय राशियों का भुगतान नियत समय में नहीं किया जाता है, तो पट्टा निरस्त कर प्रतिभूति को राजसात किया जा सकेगा । भुगतान न की गई शेष राशियों को भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा ।

10.16.1 दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2010 के मध्य आठ जिला खनिज कार्यालयों [10] में मुख्य खनिजों के पट्टाधारकों की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि 67 पट्टाधारकों द्वारा जनवरी 2008 से दिसम्बर 2010 तक की अवधि हेतु देय ₹ 68.25 लाख के अनिवार्य किराया राशि के विरूद्ध ₹ 70,000 का ही भुगतान किया गया था । लेकिन, विभाग ने शेष राशि को, भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने के लिये

[9] भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, हरदा, खण्डवा, मुरैना, पन्ना, रतलाम और सिंगरौली ।

[10] अनूपपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, धार, नीमच, सतना, शहडोल और टीकमगढ़ ।

कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 68.18 लाख के अनिवार्य किराये की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात, जिला खनिज अधिकारी, नीमच ने बताया (नवम्बर 2010) कि समय समय पर अनिवार्य किराये की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किये गये हैं, लेकिन बीमार इकाईयाँ होने के कारण वसूली सम्भव नहीं है। जिला खनिज अधिकारी, धार और टीकमगढ़ ने बताया (मई 2011 और अगस्त 2011 के मध्य) कि ₹ 63,000 की राशि वसूल कर ली गई थी । जिला खनिज अधिकारी, नीमच का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनि पट्टा विलेख के सामान्य प्रावधान के भाग IX की शर्त क्रमांक 2 के अंतर्गत पट्टे को निरस्त कर प्रतिभूति जमा राशि राजसात की जानी चाहिये थी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2012) ।

10.16.2 जनवरी 2009 तथा जनवरी 2011 के मध्य 33 जिला खनिज कार्यालयों[11] में गौण खनिज पट्टाधारियों की प्रकरण फाइलों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया कि गौण खनिजों के 321 पट्टाधारियों ने जनवरी 2006 से दिसम्बर 2010 की अवधि के लिए देय अनिवार्य किराया ₹ 2.58 करोड़ के विरूद्ध ₹ 58.88 लाख का भुगतान किया था । तदापि, हमने पाया कि विभाग द्वारा शेष राशि को वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के अनिवार्य किराये की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला खनिज अधिकारियों, उज्जैन, धार, सागर, खरगौन, इंदौर, देवास, ग्वालियर, रायसेन, मंदसौर, बैतूल, रतलाम तथा टीकमगढ़ ने बताया (मार्च 2011 से अगस्त 2011 के मध्य) कि राशि ₹ 40.37 लाख की वसूली की जा चुकी है । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

[11] अनूपपूर, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सीहोर, सीधी, शिवपुरी, टीकमगढ़ तथा उज्जैन ।

हमने प्रकरणों को फरवरी तथा मई 2011 के मध्य डी.जी.एम. तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

(डी. के. शेखर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

भोपाल,
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
दिनांक